राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :– 749/2025

कानाराम हीमार —**अपीलार्थी**

बनाम

1. सचिव शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर, जिला बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा जोधपुर, जिला जोधपुर।
4. प्रकाश चंद्र सोलंकी, ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रथम, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, ब्लॉक बिलाडा, जिला जोधपुर।

—**प्रत्यर्थीगण**

प्रस्तुतिकरण की तिथि : 11.09.2025
आदेश की दिनांक : 11.09.2025

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री कैलाश जांगिड़, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त परमार, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– लेखराज तोसावडा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में प्राधानाचार्य ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी के पद पर बिलाडा जिला जोधपुर में कार्यरत है। निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के कार्यालय आलोच्य आदेश दिनांक 03.08.2025 (अनुलग्नक–4) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय से प्राचार्य राजकीय उच्च माधमिक विद्यालय आसाढी बाडमेर में किया गया है जबकि निजी प्रत्यर्थी का स्थानांतरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शिवनगरी बिलाडा से अपीलार्थी के वर्तमान पद स्थापन स्थान पर किया गया है जो कि निजी प्रत्यर्थी के पूर्व पदस्थापन स्थान से मात्र 2 किमी की दूरी पर है। अपीलार्थी का कथन है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण निजी प्रत्यर्थी को समायोजित करने के लिए किया

गया है जबकि अपीलार्थी मई 2027 अर्थात 20 माह पश्चात् सेवानिवृत हो रहा है व 400 किमी की दूरी पर स्थानातरंण किया गया है।

3. अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) एवं आलोच्य आदेश दिनांक 17.01.2025 (अनुलग्नक–2) एवं कार्यमुक्ति आलोच्य आदेश दिनांक 24.01.2025 (अनुलग्नक–3) को अपास्त किया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को चिकित्सा अधिकारी के पद पर पी एच सी, मोड का निम्बाहेडा, भीलवाडा में निरन्तर कार्यरत रखा जावे।

4. हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्ताओं की बहस सुनी और पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अवलोकन कर मनन किया गया।

5. बहस के दौरान अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थीगण द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किया जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

6. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

7. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य